तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.10.19	**एकल पीठ** **श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य** उपस्थित– श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक प्रार्थी श्री सी. पी. शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय** यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी, इटावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–9–2003 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में कथन है कि विपक्षी पुष्पा ने एक वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थीगण के पिता का देहांत हो गया व उनके स्थान पर प्रार्थीगण को कायम मुकाम बनाया गया व इस दावे में पूर्व में छीत्या के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई थी जो दावा अबेट होने से स्वतः निरस्त हो गई व अबेटमेंट के विरूद्ध विपक्षी द्वारा अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके द्वारा स्वीकार कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। तत्पश्चात् विपक्षी ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि पूर्व में प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी अतः वह पुनः जारी की जावे। जिस पर परीक्षण न्यायालय ने मात्र पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा छीत्या को पाबंद किये जाने के कारण प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद करने की गैरकानूनी आज्ञा दिनांक 8–9–2003 को पारित कर दी, जो पूर्णतया अविधिक होने से निरस्तीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 8–9–2003 को निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध मण्डल में निगरानी संधारण योग्य नहीं है अतः इसी स्तर पर खारिज की जाए। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि उपखण्ड अधिकारी ने मूल दावा अबेट के आधार पर खारिज किया था जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने पूर्ण निर्णय हेतु रिमाण्ड किया है। इसलिए मूल दावे के खारिज होने से दावे में जारी टी.आई. भी खारिज हो गयी किन्तु दावे के पुनः जीवित होने से टी.आई. भी ओटोमेटिक जीवित हो जाती है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी के यहां टी.आई. जारी हुई है जिसके खिलाफ प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी में धारा 225 में संधारण योग्य है, मण्डल में निगरानी संधारण योग्य न होने से खारिज की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	